लोकहित वाद एवं परिसीमा

मुख्य विधिक बिन्दु निम्नलिखित है :–

उपचार के बिना अधिकार व्यर्थ है, प्रत्येक अधिकार का अस्तित्व उस अधिकार का हनन किये जाने पर उपलब्ध उपचार पर निर्भर करता है ।

संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 तक में मूल–अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें नागरिकों को संविधान के द्वारा व्यापक मूल अधिकार प्रदान किये हैं। वस्तुतः जनहित वाद की परिकल्पना हमारी उदार संस्कृति के मूलभाव को भी अभिव्यक्त करती है, जिससे **''सर्वे भवन्तु सुखिनः''**तथा ''**परहित सरिस धर्म नहिं भाई''** जैसी अनेकों सूक्तियाँ प्राप्त होती हैं ।

हमारी संस्कृति से ही हमें यह दृष्टिकोण भी प्राप्त होता है :–

''अयं निजं परोवेति गणनां लघु चेतसाम, उदार चरितानां तु वसवैध कुटुम्बकम् ।।

एस0 पी0 गुप्ता बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय नें मत व्यक्त किया कि :'प्रक्रिया न्याय की मात्र दासी है, प्रक्रिया सम्बन्धी किन्हीं तकनीकियों में न्याय के प्रयोजन को कभी समाप्त नहीं हो जाने देना चाहिये।''जनहित वाद ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा निर्धन तथा वंचितों के साथ होने वाले अन्याय की अभिव्यक्ति की जा सकती है ।

न्यायमूर्ति **कृष्ण अय्यर** द्वारा **मुम्बई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई** के वाद में, बोनस के संदाय के बारे में एक औद्योगिक विवाद को निपटाते हुए कहा गया कि हमारा संविधान मूल रूप से **एक सामाजिक दस्तावेज** है, इसमें लोक–कल्याण के लिये कई महत्वपूर्ण प्रावधान व व्यवस्थायें की गयी है ।

नर्मदा बचाओ आन्दोलन बनाम **यूनियन ऑफ इण्डिया** लोकहितवाद में परिसीमा का नियम कड़ाई से लागू नहीं होता बल्कि लागू होना प्रत्येक मामलों के तथ्यों पर निर्भर है।

ए0वी0एस0के0 संघ (रेलवे) बनाम **यूनियन ऑफ इण्डिया** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक अपंजीकृत संगठन भी आम शिकायतों के उपचार के लिए अनुच्छेद–32 के अधीन पिटीशन फाइल करने के लिए हकदार है

संविधान में अन्तर्विष्ट **सामाजिक, आर्थिक न्याय** के उद्देश्य और उसकी प्राप्ति के लिए सरकार के कार्य के बीच अन्तर के कारण लोकहितवाद की अधिकारिता का उद्भव हुआ उच्चतम न्यायालय नें यह कहा है ''लोकहितवाद की तकनीक का **न्यायिक नव–प्रक्रिया** के लिए विवशता एक **समानतामूलक सामाजिक व्यवस्था और एक कल्याणकारी राज्य** को ले आने के लिए सामाजिक, आर्थिक उपान्तरण के संवैधानिक वायदे की आबद्धता है ।''

फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कामगर यूनियन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में लोकहित वाद पद का प्रयोग किया गया। इस निर्णय में न्यायाधीश कृष्ण अय्यर नें अपने और न्यायमूर्ति भगवती की ओर से

ए0 वी0 एस0 के0 संघ (रेलवे) बनाम **यूनियन ऑफ इण्डिया** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक अपंजीकृत संगठन भी आम शिकायतों के उपचार के लिए अनुच्छेद–32 के अधीन पिटीशन फाइल

उच्चतम न्यायालय नें **परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ'** के मामले में एक अजनबी व्यक्ति द्वारा दायर की गयी निर्णयों को चुनौती देने के सम्बन्ध में **फर्टिलाइजर कार्पोरेशन कामगार यूनियन** बनाम **यूनियन आफ इण्डिया** के मामले में **न्यायाधीश कृष्णा अय्यर** नें सर्वप्रथम **लोकस स्टैन्डी** अर्थात् आवेदन करने के अधिकार पर वृहत् टिप्पणी की थी

केदरा पहाड़िया बनाम **बिहार राज्य** के मामले में बिहार राज्य के जेलों में बहुत सारे कैदी बिना विचारण के बहुत वर्षों से पड़े थे। कुछ मामलों में तो स्थिति यह थी कि जिन अपराधों के लिए वे जेल में बिना विचारण के लगभग 10–15 वर्षों से पड़े थे। उन अपराधों के विवाद में अपराधी घोषित किये जाने के बाद भी उनको तीन वर्ष से अधिक की जेल–यातना नहीं दी जा सकती थी।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम **यूनियन ऑफ इण्डिया,** में उच्चतम न्यायालय नें कहा :अनुच्छेद 21 मानव गरिमा के साथ शोषण से मुक्त होकर जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है।

ओलगा टेलिस बनाम **बाम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन,** जिसमें बम्बई के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा सड़क की पटरी पर रहने वालों को हटाये जाने को,

कन्ज्यूमर एजूकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर बनाम **यूनियन ऑफ इण्डिया,** में न्यायालय नें कहा कि प्राण का अधिकार कर्मकार को स्वास्थ्य और चिकित्सीय देखभाल का अधिकार सुनिश्चित करता है ।

एम0 सी0 मेहता बनाम **यूनियन ऑफ इण्डिया,** में जिसमें **'ताज हेरिटेज प्रायोजना'** के नाम से ज्ञात प्रायोजना को मंजूर करने और कार्यान्वित करने